

प0 म0 ग्राम सोरसन तह0 अन्ता

मौका रिपोर्ट दिनांक 9/3/2017

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां के आदेश क्रमांक : -
एफ 4(5)आजस्व / 14/5614-20 दिनांक 16/09/2014 व तह0 आदेश
क्रमांक lr / 14/5925-12/09/2014 के अनुसार विभिन्न विकास कार्य
में काम में आने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन (समतुल्य
भूमि) हेतु ग्राम सोरसन की आराजी खसरा न0 1173/19.15,
1175/19.76 गैर मूमकीन बरडा कुल किता 2 की 38.91 हे0 है, जो वन
विभाग को दिया जाना है उक्त भूमि वन विभाग की भूमि से लगवा है
तथा मोके पर खाली पड़ी हुई है जिसमें अन्य किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं
है तथा नामांकन क्रमांक 1490 दिनांक 7/2/2017 से ख.न 1173/19.15, 1175/19.76
भूमि वन विभाग के नाम आवंटित हो चुकी है व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है
रिपोर्ट श्रीमान के सेवा में उचित कार्यवाही हेतु पेश है

पदवारी
प0स0
तह0अन्ता जिलाबारां

तहसीलदार (मू0अभे0) अन्ता
जिलाबारां

प्रपत्र सं. पी. २६ (ए)
(देहिने नियम १३)
०००... से २०००... तक

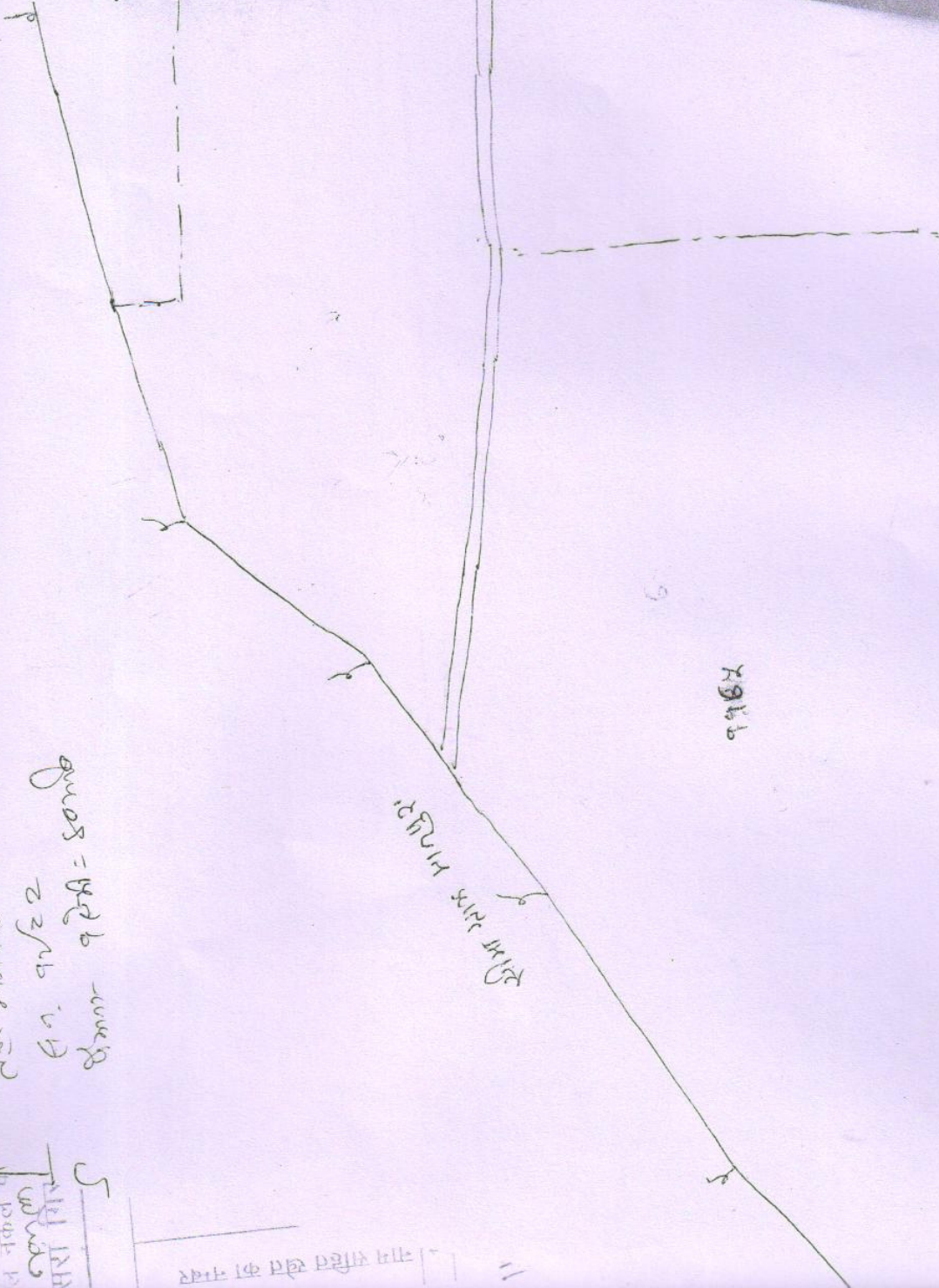
36

[illegible]

न नकल
सरा सि

पु. मंडोल जि. काटा (राज.)
 एन. ११२२
 ए.म. ११२२ = ११२२

गोम सहित खेत का नक्का



पटवारी
 पोस्टा
 त्रिपुरा, ता. जिंदवारी

पु. मंडोल जि. काटा (राज.)
 एन. ११२२
 ए.म. ११२२ = ११२२

पु. मंडोल जि. काटा (राज.)
 एन. ११२२
 ए.म. ११२२ = ११२२

2	आवेदन करने वाले की नाम	उपवन संरक्षण कार्य
3	आवेदन संस्था का नाम/ पता एवं विवरण	-
4	आवेदन कर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	-
5	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	-
6	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना, रिपोर्ट, निर्माण, लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	-
7	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है ? उसका विवरण	-
8	संस्था को भू आवंटन का प्रयोजन एवं सम्बन्धित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	-
9	संस्था द्वारा Norms से अधिक भूमि चाही जाने पर उसका औचित्य	-
10	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हाँ तो विवरण दें।	-
11	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा ?	-
12	संस्था द्वारा चाही गई भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम ख.न., किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबन्दी व राजस्व नक्शे	ग्राम राजस्व ख.न. 117/2 1175 12/13
13	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	-
14	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	-
15	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	-
16	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	-
17	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है ? या स्थगन आदेश तो नहीं है ?	-
18	क्या भू उपयोग परिवर्तन होना है ? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण नगरीय परिधीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	-
19	क्या भूमि पर निर्माण हो चुका है या पूर्व से ही निर्माण है ?	-
20	भूमि पर अतिक्रमण हो तो विवरण।	-
21	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग से दूरी	-
22	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है ?	-
23	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी, राजस्व नक्शा, तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न
24	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है ? यदि हाँ तो ग्राम पंचायत की राय/ अभिशंषा संलग्न है या नहीं ? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	-
25	यदि सम्बन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र या पेरीफैरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी.संलग्न है ?	-
26	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	-
27	क्या मास्टर प्लान बन चुका है, तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है।	-
28	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है।	-
29	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है	-

म.प्र.
आ.प्र.

तहसीलदार (भू.प्र.)
अ.प्र., जिला कारा (राज.)

जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु प्रपत्र

राजकीय विभागों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/शालाओं इत्यादी के लिये -
राजस्थान भू-राजस्व संस्थाओं को स्कूलों, कॉलेजों चिकित्सालयों -
धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ -
राजकीय कृषि भूमि का आवंटन (नियम- 1963) -

- 1- प्रार्थी के विभाग का नाम - खसरा विभाग (उपजाऊ शक्ति के लिये)
- 2- आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये
- 3- क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिये पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है, यदि हाँ तो इसका विवरण :- नहीं
- 4- क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है। हाँ
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के लिये वर्तमान में क्या व्यवस्था हुयी है। 26 एकड़ की है
- 6- विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड :- निम्नलिखित
- 7- यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं तो उनका विवरण :-
- 8- मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य :-

9- आवंटन चाही गयी भूमि का विवरण :-

(1) तहसील का नाम

(2) ग्राम का नाम

(3) खसरा नम्बर

(4) भूमि की किस्म

(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल

(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल

(7) जमाबन्दी, खसरा नं. व नक्शे की प्रति संलग्न है।

(8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं
(पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें।)

10- यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो :-

(1) पशु संरक्षा

(2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि

(3) पशुओं के अनुपात में चरागाह भूमि प्रयाप्त है।

(4) यदि नहीं तो चरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था

11- भूमि नगर पालिका में स्थित है/ग्राम पंचायत में (नाम लिखें)

12- स्थानीय निकाय का निरापत्ति "प्रमाण-पत्र" एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें।

13- नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की सहमति संलग्न करें।

14- क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है।

15- क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिये विभाग जो प्रशासनिक/वित्तियत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

16- यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है तो भूमि का निर्माण किस प्रकार होगा।

17- यदि निर्माण पूर्व हो चुका है तो अंकित करें।

18- पूर्व में सहमति नहीं प्राप्त करने का कारण

19- जिला कलेक्टर की राय।

तहसीलदार (भू. अभि.)
जिला नगर (राज.)

हस्ताक्षर
जिला कलेक्टर, बारों